(वाद संख्या–**2314/18**)

11.02.2020

परिवादी, जितेन्द्र पासवान, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के एक ग्रामीण, रामप्रवेश पासवान से करीब पौने पांच लाख रुपये की बकाया मजदूरी दिलाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्ष, 2009 में परिवादी/श्रमिक, जितेन्द्र पासवान के पक्ष में मूल मजदूरी, तेतालीस हजार रुपये मुआवजा सहित चार लाख तेहत्तर हजार का दावा–पत्र सहायक श्रमायुक्त, डालमिया नगर के न्यायालय में दायर किया गया था जिसका वाद संख्या–MW 05/2009 था। उक्त वाद की सुनवाई के क्रम में श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी, वारूण से स्थल जांच करायी गयी। श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी, वारूण द्वारा समर्पित जांच–प्रतिवेदन के अनुसार जांच के क्रम में परिवादी के गाँव के ग्राम पंचायत, खैरा के पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा ग्रामीणों से परिवादी के शिकायत के संबंध में पुछताछ की गयी। पुछ–ताक्ष के क्रम में उनलोगों द्वारा बताया गया कि परिवादी तथा उसके ग्रामीण, रामप्रवेश पासवान, के बीच एक आपराधिक मामला औरंगावाद स्थित व्यवहार न्यायालय में चल रहा है इसी के आलोक में, द्वेष की भावना से, परिवादी द्वारा रामप्रवेश पासवान के विरूद्ध शिकायत किया गया है। श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी, वरूण के उपरोक्त जांच–प्रतिवेदन के आधार पर सहायक श्रमायुक्त, डालमिया नगर द्वारा वाद संख्या– MW 05/2009 को निष्पादित कर दिया गया है। परिवादी की ओर से आयोग को सूचित किया गया कि श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी द्वारा स्थल पर जांच न कर उसके विपक्षी रामप्रवेश पासवान के प्रभाव में आकर गलत जांच–प्रतिवेदन समर्पित किया गया था।

आयोग के स्तर पर सहायक श्रमायुक्त, डालमिया नगर के न्यायालय के आदेश की वैधता पर विचार किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है।

अतः उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद करते हुए परिवादी को यह सलाह दी जाती है कि वह इस संबंध में सक्षम न्यायालय के समक्ष विधिनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति संलग्न कर परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक